

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
11/23/2017

प्रवेश तिथि
03-08-2017

निर्णय दिनांक
07-12-2017

1-श्रीमती शीला कौर पत्नि श्री बन्ता सिंह उर्फ बलवंत सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम नगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

अपीलान्टस

बनाम

1-जसनेल सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख मार निवासी कस्बा रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर
2-तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ जिला अलवर।

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक
25-01-17 नामान्तकरण संख्या 240 ग्राम नगली मेघा तहसील रामगढ

उपस्थित:-

01. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

-वकील अपीलान्टस

02 श्री जे0सी0सतीजा

-वकील रेस्पोंडेंट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 25-01-17 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 240 ग्राम नगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर बेजा तौर पर निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी 25.07.2017 को मिली जिस पर दिनांक 26.07.2017 को नकल प्राथना पत्र पेश कर नकल प्राप्त की गई। निर्णय की जानकारी की तारीख 25.01.2017 से दिनांक 25.07.2017 तक का समय अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने पर व्यथित हुआ है। जो काबिल माफी व अन्दर मियाद है। नामान्तरण संख्या 240 में दर्ज हाल खसरा न0 1562 रकबा 0.68 है0, 1578 रकबा 0.80 है0 ग्राम नगली मेघा तहसील रामगढ मे स्थित है। जिसे अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा करतार सिंह पुत्र जीवाया सिंह रायसिख निवासी नगली मेघा से 6,83,800/- मे दिनांक 30.03.2007 को क्रय की थी। वक्त खरीद से अपीलान्ट आज तक विवादित आराजी पर काबिज है। बयनामों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 12.04.2007 को दर्ज कर दिनांक 20.04.2007 को स्वीकार किया गया। दिनांक 05.05.2007 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्वयं को करतार सिंह का पुत्र बताकर मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए। दिनांक 21.03.1993 को अपने पिता को फौत होना बताया। सरपंच द्वारा बिना नोटिस, बिना जांच एवं बिना मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये इन्तकाल संख्या 240 खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 05.05.2007 के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 05.05.2007 इन्तकाल संख्या 240 निरस्त कर तहसीलदार को उभय पक्षों को सुनवाई कर इन्तकाल का निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित

किया गया। तहसीलदार रामगढ द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये विधि विरुद्ध मौके व कब्जे एवं रजिस्टर्ड बयनामे निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्त को उक्त आराजी खरीद किये हुए 11 साल का समय हो गया। इतने पुराने इत्तकाल को समाप्त किये जाने का कोई कानूनी प्राधान्य नहीं है। कोई नामान्तरकरण किसी बयनामे के बाबत केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विक्रेता को किसी रिवाज या कानून के अनुसार विक्रय करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि बयनामा एक वास्तविक व रजिस्टर्ड दस्तावेज है। जबतक की वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। पटवारी हलका की रिपोर्ट तथा मौका परिचय पर अपीलान्त तथा उसके परिजनों का कब्जा होना बताया गया। जिस रिपोर्ट के तथ्यों पर भी तहसीलदार साहब द्वारा गौर नहीं किया गया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.09.2016 के अनुसार विवादित आराजी पर अपीलान्त व उसके परिजनों का कब्जा है। ऐसी स्थिती में तहसीलदार को अपीलान्त के हक में नामान्तरकरण संख्या 240 का निर्णय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया। तहसीलदार साहब द्वारा निर्णय में अंकित किया है। कि जिस बयनामा दिनांक 30.03.2007 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 240 दर्ज हुआ है। व बयनामा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 व अपीलीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एस0सी0, एस0टी0 के निर्णय क्रमश 21.11.2012 व 14.09.2016 से कूटरचित व छल प्रयोजनार्थ तैयार कराना व खातेदार करतार सिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तहरीर कराया जाना साबित होने से शुन्य प्रमाणित हुआ है। अतः बयनामा शुन्य होने से उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 240 निरस्त होने योग्य है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध है। उक्त बयनामा करतार सिंह पुत्र जिवाया सिंह द्वारा विधि अनुसार 6,83,800/- प्रतिफल प्राप्त करके और अपीलान्त को कब्जा देकर अपीलान्त के हक में दिनांक 30.03.2007 को पंजीबद्ध कराकर विक्रेता व क्रेता की फोटो लगी हुई है, जिनकी पहचान गवाहों ने की है। जब तक ऐसा रजिस्टर्ड बयनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता तब तक उस दस्तावेज को सही माना जावेगा। तहसीलदार रामगढ ने जिन फौजदारी प्रकरणों के निर्णय का हवाला देते हुए बयनामों को शुन्य होना माना है, वह विधि विरुद्ध है। रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 21.03.1993 को करतार सिंह की मृत्यु का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। और तहसीलदार साहब द्वारा भी करतार सिंह की मृत्यु के समय विधि अनुसार कोई जांच नहीं की गई। फिर भी तहत अदालत में दिनांक 25.01.2017 को जो निर्णय अपीलान्त के खिलाफ पारित किया वह विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः तहत अदालत का निर्णय दिनांक 25.01.2017 बाबत नामान्तरकरण संख्या 240 अपास्त फरमाया जावे तथा बयनामा के आधार पर अपीलान्त के हक में दिनांक 20.04.2007 को जो नामान्तरकरण संख्या 240 स्वीकृत किया गया है उसे बहाल रखा जाए। अपीलान्त द्वारा अपील की ताईद में आर.आर.टी 2014-15 (supp.) पेज 459, आर.आर.टी 2012(1) पेज 374, आर.आर.टी 2016(1) पेज 726, आर.आर.डी 1989 पेज 45, आर.आर.डी 1991 पेज 218(सी), आर.आर.डी 1984 पेज 45(डी,ई), आर.आर.डी 1984 पेज 111(ए), आर.आर.टी 2002(1) पेज 648 (एचसी), आर.आर.टी 2013(2) पेज 878(एससी) पेश किये।

विद्वान वकील रैस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि सर्वप्रथम तो अपील चलने योग्य ही नहीं है। क्योंकि तहत अदालत में निर्णय दोनो पक्षों को सुनकर किया है। ऐसी स्थिती में धारा 135 (2) एल0आर0एक्ट के तहत अपील अपीलान्त मैन्टेनेबल नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलान्त विवादित आराजी का बोनाफाईड पर्चेजर नहीं है। तथाकथित बयनामा दिनांक 30.03.2007 फर्जी एवं कूटरचित है। तथा अपीलान्त का विवादित आराजी पर कोई कब्जा या काशत नहीं है। क्योंकि अपीलान्त जिस करतार सिंह से उक्त आराजी को दिनांक 30.03.2007 के बयनामा द्वारा खरीद करना बता रहा है। वह करतार सिंह दिनांक 21.03.1993 को मर चुका था। मिन रैस्पॉडेन्ट जो करतार सिंह का पुत्र है ने उक्त फर्जी बयनामा के संदर्भ में एक एफ0 आई0आर0न0 189/2007 पुलिस थाना एम0आई0ए0 अलवर में दर्ज करवाई थी। जिसमें अपीलान्त शीला कौर, प्रताप सिंह, करनेल सिंह, सुरेन्द्र सिंह वगैरे के खिलाफ सक्षम न्यायालय द्वारा तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। जिस दण्डादेश के विरुद्ध अभियुक्तगणों ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलवर के यहां अपील पेश की जिसमें दिनांक 14.09.2016 को खारिज कर दी गई। अपीलान्त का विवादित आराजी से कोई

सरोकार नहीं है। करतार सिंह तथाकथित बयनामा से काफी पहले ही मर चुका था। अपीलान्टा मिथ्या मुकदमा बाजी करके मिन अप्रार्थी की आराजी को हड़पना चाहती है। ग्राम पंचायत नंगली मेघा द्वारा ईन्काल संख्या 240 दिनांक 20.04.2007 को तस्दीक किया गया किन्तु वास्तविक तथ्यों की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2007 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यतिथ होकर अपीलान्टा ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में अपील दायर कर आदेश दिनांक 05.05.2007 को चुनौती दी गई जो अपील दिनांक 31.05.2016 को रिमांड कर पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार रामगढ़ को प्रतिप्रेषित कर दी गई। जिसके पश्चात तहसीलदार रामगढ़ ने दिनांक 25.01.2017 को उक्त अपील को खारिज कर दिया गया है। मृतक करतार सिंह को मिन अप्रार्थी के अलावा अन्य वारिसान भी है। जिन्हे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जिस कारण भी अपील चलने योग्य नहीं है। व काबिज खारिज है। अतः अपील मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे। रैस्पॉडैन्ट वकील द्वारा आर.आर.डी 1996 पेज 356 ए.आई.आर 1990 उडीसा पेज 69 आर.आर.डी 14.03.2017 पेज 141 **Specific Relief Act, 1963** पेज 63, आर.आर.डी 1984 पेज 851, पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 25-01-17 के विरुद्ध दिनांक 03-08-2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 6 माह विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधी असाधारण नहीं है फिर भी न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा-5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के रिमांड आदेश के बाद तहसीलदार रामगढ़ द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें आदेश दिनांक 25.01.2017 द्वारा नामांतरण संख्या 240 को निरस्त किया गया है। स्पष्ट है कि प्रकरण ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के द्वारा तहसीलदार रामगढ़ को रिमाण्ड होने से विवादित प्रकरण की श्रेणी मे था और तहसीलदार का आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत पारित आदेश माना जावेगा, जिसकी अपील सुनने का अधिकार संभागीय आयुक्त/अति० संभागीय आयुक्त को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। धारा 135(1) के तहत अविवादित नामान्तरण पर तहसीलदार के पारित आदेश के विरुद्ध ही जिला कलक्टर धारा 75 (1)(डी) के तहत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखते है। हस्तगत प्रकरण में पारित तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 25.01.2017 धारा 135(2) के तहत पारित आदेश होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं रहा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07-12-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)